।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर।।

:: दिनांक 15.07.2021 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक दिनांक 15.07.2021 को **महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर** की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

1. **श्रीमती मालिनी अग्रवाल,** — **सदस्य**
   अति. महानिदेशक कारागार
   राजस्थान, जयपुर।
2. **श्री विक्रम सिंह** — **सदस्य**
   महानिरीक्षक कारागार
   राजस्थान, जयपुर।
3. **श्रीमती मोनिका अग्रवाल,** — **सदस्य सचिव**
   उप महानिरीक्षक कारागार
   रेंज, जयपुर।
4. **श्री रमेश कुमार दहमीवाल,** — **सदस्य**
   सहायक निदेशक (परिवीक्षा)
   सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
   राजस्थान, जयपुर।

बैठक में निम्नांकित 150 (वरियता क्रमांक 256 एवं 352 से 500 तक के) बंदियों के प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये गये :-

क्र.सं.	बंदी का नाम मय वल्दियत	जेल का नाम, जहां बंदी सजा भुगत रहा है।	गृह जिला
1.	2.	3.	4.
1.	प्रकाश पुत्र नानजी	के.का. उदयपुर	उदयपुर
2.	भैरूलाल पुत्र ऊंकार लाल	के.का. उदयपुर	राजसमंद
3.	सोनपाल पुत्र रामजीलाल	के.का. भरतपुर	भरतपुर

4.	प्रेम कुमार उर्फ लाला पुत्र दीनानाथ	वि.के.का. श्यालावास (दौसा)	आगरा (उ.प्र.)
5.	जसपाल सिंह पुत्र रघुवीर सिंह	के.का. अलवर	अलवर
6.	भवंरलाल पुत्र हरफूल मीणा	के.का. कोटा	करोली
7.	नत्था सिंह पुत्र अग्रेज सिंह	के.का. बीकानेर	हनुमानगढ
8.	मनोहरी देवी उर्फ सुशीला पत्नी कैलाश	म.बं.सु.गृ.जोधपुर	पाली
9.	दिनेश उर्फ पहलवान पुत्र हेतराम	के.का. जयपुर	भिवानी (हरियाणा)
10.	जसवंत सिह उर्फ जस्सा सिह पुत्र गुरदेव सिह	के.का. श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर
11.	बनवारी पुत्र दीवान सिंह	के.का. भरतपुर	धौलपुर
12.	तेजा पुत्र सामा	के.का. उदयपुर	बांसवाड़ा
13.	मुन्नाराम उर्फ मुनिया पुत्र गणेश राम	के.का. अजमेर	नागौर
14.	रामसिंह उर्फ सियाराम पुत्र बिहारी	के.का. अलवर	अलवर
15.	बाबु खाँ पुत्र फतह मोहम्मद	के.का. उदयपुर	उदयपुर
16.	दीपा उर्फ दीपचन्द पुत्र पेमा	के.का. उदयपुर	चित्तौड़गढ़
17.	विष्णु कुमार पुत्र विनोद कुमार	के.का. भरतपुर	भरतपुर
18.	शिम्भु दयाल पुत्र रमेश चन्द	वि.के.का. श्यालावास (दौसा)	जयपुर
19.	महेन्द्र कुमार पुत्र रामकुमार	के.का. श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर
20.	द्वारकालाल पुत्र चम्पालाल	के.का. कोटा	बारां
21.	विजयपाल पुत्र केशव सिंह	के.का. भरतपुर	मुरैना (म.प्र.)
22.	बापूलाल पुत्र भवंरलाल	के.का. कोटा	बारां

23.	दिनेश पुत्र गिरधारी	के.का. भरतपुर	करौली
24.	श्रीमती सरोज देवी उर्फ बादू देवी पत्नी महेन्द्र कुमार	म.बं.सु.गृ. बीकानेर	श्रीगंगानगर
25.	शिवचरण पुत्र बाबूलाल बैरवा	के.का. जयपुर	दौसा
26.	दीपक पुत्र मदनलाल	के.का. जोधपुर	जोधपुर
27.	मोहनलाल पुत्र चम्पालाल	के.का. उदयपुर	डूंगरपुर
28.	रामकुमार पुत्र गोविन्द राम	के.का. श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर
29.	दर्शन सिंह पुत्र हजूर सिंह	के.का. बीकानेर	श्रीगंगानगर
30.	प्रभु उर्फ प्रभुलाल पुत्र नानजी	के.का. उदयपुर	डूंगरपुर
31.	मो. फिरोज पुत्र ईशाक मो.	के.का. उदयपुर	चित्तौड़गढ़
32.	भवानी सिंह पुत्र दयाराम	के.का. बीकानेर	झुन्झुनू
33.	जगदीश उर्फ जग्गी पुत्र छोटेलाल	के.का. अलवर	अलवर
34.	भीवाराम पुत्र आशाराम	के.का. बीकानेर	सीकर
35.	हरदयाल पुत्र रामबाबु	वि.के.का. श्यालावास (दौसा)	करौली
36.	रामफूल उर्फ फूलाराम पुत्र भूराराम	के.का. जयपुर	जयपुर
37.	मोहनलाल उर्फ राजेश पुत्र मदनदास	के.का. अजमेर	भीलवाड़ा
38.	जयनारायण पुत्र ओमप्रकाश	के.का. श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर
39.	सुधीर उर्फ पप्पू सोनी पुत्र हरस्वरूप सोनी	के.का. भरतपुर	भरतपुर
40.	चैनाराम पुत्र गेबाराम	के.का. जोधपुर	बाड़मेर
41.	लाला पुत्र कालु	के.का. उदयपुर	उदयपुर
42.	लक्ष्मणलाल पुत्र हेमाजी	के.का. जोधपुर	चितौड़गढ
43.	देवीलाल पुत्र एकाजी	के.का. जोधपुर	चितौड़गढ
44.	हिम्मत मीणा पुत्र बद्री नारायण	वि.के.का. श्यालावास (दौसा)	जयपुर

45.	सन्नी उर्फ दीपक पुत्र भागचन्द	के.का. बीकानेर	अजमेर
46.	बलवीर उर्फ राज पुत्र शंकरसिह	के.का. जयपुर	उधमपुर (जम्मू)
47.	रामअवतार पुत्र मोरपाल	जि.का. टोंक	टोंक
48.	श्रीमती देवलता कँवर पत्नी स्व. शक्ति सिंह	के.का. उदयपुर	चित्तौड़गढ़
49.	जगदीश पुत्र हुकमाराम	के.का. बीकानेर	सीकर
50.	प्रभुराम पुत्र ओबाजी	के.का. जोधपुर	बनासकांठा (गुजरात)
51.	सुरेश पुत्र कस्तुरचंद	के.का. कोटा	कोटा
52.	दुर्गाशंकर पुत्र छोटूलाल	के.का. कोटा	कोटा
53.	राम सिंह पुत्र चमन सिंह	के.का. उदयपुर	उदयपुर
54.	अशोक कुमार उर्फ अशोकी पुत्र हनुमान	उ.सु.का. अजमेर	श्रीगंगानगर
55.	राकेश पुत्र ओमप्रकाश	के.का. श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर
56.	प्रकाश भारती पुत्र लक्ष्मण भारती	के.का. जोधपुर	पाली
57.	बसंतसिंह उर्फ आदपा पुत्र नत्थीसिंह	के.का. भरतपुर	धौलपुर
58.	कलाम पुत्र हुसैन भाई	के.का. कोटा	कोटा
59.	हरकेश पुत्र राजाराम	वि.के.का. श्यालावास (दौसा)	दौसा
60.	देवेन्द पुत्र सहीराम	के.का. श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर
61.	दीवानसिंह पुत्र अमरसिंह	के.का. भरतपुर	धौलपुर
62.	राजवीर पुत्र रामफल	के.का. भरतपुर	भरतपुर
63.	कैलाशी पुत्र नत्थी सिंह	के.का. भरतपुर	धौलपुर
64.	महेश पुत्र रामकिशोर	के.का. जयपुर	जयपुर
65.	नन्दकिशोर उर्फ गुरूजी पुत्र राजाराम	वि.के.का. श्यालावास (दौसा)	दौसा
66.	रामस्वरूप पुत्र हीरा	के.का. कोटा	बून्दी
67.	दातार सिंह पुत्र मालसिंह	के.का. अलवर	चूरू
68.	सतीश उर्फ कटारिया पुत्र उमराव	के.का. बीकानेर	झुन्झुनू

69.	जगमोहन सिंह पुत्र गुरूनामसिंह	के.का. जोधपुर	फतेहगढ साहिब, पंजाब
70.	पूरण पुत्र रामसिंह	वि.के.का. श्यालावास (दौसा)	दौसा
71.	रमेश उर्फ देवीलाल पुत्र रामा	के.का. उदयपुर	राजसमंद
72.	हीरालाल पुत्र कल्लू	के.का. कोटा	बारां
73.	फतेह सिंह पुत्र प्रताप सिंह	के.का. उदयपुर	उदयपुर
74.	दीपाराम पुत्र भारताराम	के.का. जोधपुर	जालौर
75.	मोहन सिंह पुत्र मुल सिंह	के.का. अजमेर	नागौर
76.	सुरेश पांगा पुत्र बाबु लाल	के.का. अजमेर	जोधपुर
77.	लाला उर्फ लालशंकर उर्फ जीगर पुत्र गटूलाल	के.का. उदयपुर	डूंगरपुर
78.	नरेश उर्फ नैनाराम पुत्र गणेश राम	के.का. अजमेर	नागौर
79.	रामचन्दों पत्नी मोहर सिह	म.बं.सु.गृ. बीकानेर	चुरू
80.	भरत कुमार पुत्र लक्ष्मण लाल	के.का. उदयपुर	डूंगरपुर
81.	अनिल पुत्र पूरण सिंह	वि.के.का. श्यालावास (दौसा)	अलवर
82.	भैरूलाल पुत्र नारायण लाल	के.का. उदयपुर	चितौडगढ
83.	संदीप पुत्र नवरंगी	के.का. जोधपुर	रोहिताश (बिहार)
84.	सोनू उर्फ रियासत अली पुत्र निसार अहमद	के.का. कोटा	कोटा
85.	कानाराम पुत्र बीरबलराम	के.का. श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर
86.	मुकेश स्वामी पुत्र बंशीधर	वि.के.का. श्यालावास (दौसा)	जयपुर

87.	किशन खटीक पुत्र लौंगर	के.का. भरतपुर	उदयपुर
88.	प्रभुलाल पुत्र गणेश	के.का. उदयपुर	चित्तौड़गढ़
89.	नरेन्द्र उर्फ नरेन्द्र सिंह पुत्र मिश्रीलाल	के.का. कोटा	गुना (म.प्र.)
90.	विजय सिंह पुत्र प्रताप सिंह	के.का. अजमेर	अजमेर
91.	जगदीश पुत्र कृष्ण लाल	के.का. श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर
92.	रोहन शर्मा पुत्र दुर्गा शर्मा	के.का. अलवर	रामेछाप (नेपाल) हाल भिवाडी
93.	मोहन लाल धानका पुत्र बिरदाराम	के.का. जयपुर	जयपुर
94.	राजकुमार उर्फ राजु पुत्र सीताराम उर्फ सत्यनारायण	के.का. अजमेर	बीकानेर
95.	मनोहर पुत्र विष्णप्रकाश	के.का. अजमेर	अजमेर
96.	गणेश उर्फ लटूर पुत्र छोटे लाल	वि.के.का. श्यालावास (दौसा)	जयपुर
97.	रणजीत सिंह पुत्र विजय सिंह	वि.के.का. श्यालावास (दौसा)	अलवर
98.	देवीलाल पुत्र रतनलाल	के.का. उदयपुर	चित्तौड़गढ़
99.	हीरदास उर्फ शक्ताराम पुत्र घेवरराम	के.का. जोधपुर	जोधपुर
100.	प्यारेलाल पुत्र रामजीलाल	वि.के.का. श्यालावास (दौसा)	दौसा
101.	जगन्नाथ पुत्र सोवरन	के.का. भरतपुर	धौलपुर
102.	रब्बुल इस्लाम पुत्र आईसुदीन	के.का. अजमेर	अजमेर
103.	बंटी उर्फ इरफान पुत्र कुर्बान अली	के.का. कोटा	कोटा
104.	उपेन्द्र उर्फ सोनु पुत्र हवजी	के.का. उदयपुर	उदयपुर
105.	केदार पुत्र रामप्रताप	वि.के.का. श्यालावास (दौसा)	दौसा

106.	काऊ उर्फ कावा उर्फ रमेश पुत्र वालजी	के.का. उदयपुर	डूंगरपुर
107.	हरसीलाल पुत्र देवफूल	के.का. जोधपुर	करौली
108.	जगदीश पुत्र हरजी	के.का. कोटा	कोटा
109.	रामदेव पुत्र सुगनाराम	के.का. अजमेर	नागौर
110.	नरेन्द्र कुमार पुत्र हीरा	के.का. अजमेर	चित्तौड़गढ
111.	अर्जुनलाल पुत्र बोदूराम	के.का. जयपुर	जयपुर
112.	भीमसिंह पुत्र अमरसिंह	के.का. जोधपुर	पाली
113.	सलमान उर्फ लगंडा पुत्र भुरा खॉं	के.का. अजमेर	टोंक
114.	हिम्मत सिंह पुत्र मंगल सिंह	के.का. उदयपुर	उदयपुर
115.	आशाराम उर्फ आशु पुत्र भंवरलाल	के.का. अजमेर	भीलवाड़ा
116.	श्रीमति राजु बाई पत्नि रामचन्द्र उर्फ चन्दालाल	म.बं.सु.गृ. कोटा	झालावाड़
117.	गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी पुत्र बलविन्द्र सिंह उर्फ गुरदेव सिंह	के.का. बीकानेर	हनुमानगढ़
118.	ओमप्रकाश उर्फ ओमी पुत्र जयनारायण	वि.के.का. श्यालावास (दौसा)	जयपुर
119.	योगेश उर्फ चिन्टु पुत्र राजाराम	वि.के.का. श्यालावास (दौसा)	दौसा
120.	बिरधीलाल पुत्र बजरंगलाल	के.का. कोटा	बून्दी
121.	राजूलाल उर्फ राधेश्याम पुत्र रामलाल	के.का. कोटा	झालावाड़
122.	सुग्रीवसिंह पुत्र वचनसिंह	के.का. भरतपुर	धौलपुर
123.	विजेन्द्र पुत्र नन्दकिशोर	के.का. भरतपुर	धौलपुर
124.	हीरालाल पुत्र हरीचन्द	के.का. जयपुर	दौसा
125.	प्रभुलाल पुत्र खिमा	के.का. उदयपुर	उदयपुर
126.	नीरज जाटव पुत्र कालुराम उर्फ बादशाह	वि.के.का. श्यालावास (दौसा)	अलवर

127.	प्रभु पुत्र लादू	के.का. अजमेर	भीलवाड़ा
128.	कुलदीप सिह पुत्र गुरदेव सिह	के.का. श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर
129.	पूर्ण राम पुत्र देबूराम	के.का. श्रीगंगानगर	झुंझुनू
130.	रवि शर्मा उर्फ रवि कुमार पुत्र हरिओम जैमन	वि.के.का. श्यालावास (दौसा)	अलवर
131.	सोनू पुत्र छोटे	के.का. भरतपुर	करौली
132.	श्रीमती कान्ता पत्नी लालू उर्फ लालजी	के.का. उदयपुर	बांसवाड़ा
133.	अशोक कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद	के.का. कोटा	शिवपुरी (म.प्र.)
134.	बाबुलाल पुत्र किशन लाल	वि.के.का. श्यालावास (दौसा)	दौसा
135.	हीराराम पुत्र भीमाजी	के.का. जोधपुर	पाली
136.	महेन्द्र कुमार पुत्र रामेश्वरलाल	के.का. बीकानेर	सीकर
137.	रामावतार पुत्र रामभरोसी	वि.के.का. श्यालावास (दौसा)	दौसा
138.	रविन्द्र पुत्र रतनाराम	के.का. अजमेर	नागौर
139.	कन्नौ सिंह पुत्र खूमसिंह	के.का. कोटा	बून्दी
140.	कैलाश पुत्र बरदा	के.का. अजमेर	बून्दी
141.	वनाराम पुत्र वेलाराम	के.का. जोधपुर	पाली
142.	बलवीर उर्फ बल्ली पुत्र होतीलाल	के.का. भरतपुर	दौसा
143.	कुरिया पुत्र हरजी खांट	के.का. उदयपुर	बांसवाड़ा
144.	नत्थुराम उर्फ नथाराम पुत्र भंवरलाल	के.का. जोधपुर	पाली
145.	प्रभु सिंह पुत्र बहादुर सिंह	के.का. बीकानेर	झुन्झुनू
146.	पप्पू उर्फ रामजीलाल पुत्र किशन लाल	वि.के.का. श्यालावास (दौसा)	दौसा
147.	कैलाश उर्फ रतन पुत्र मगना	के.का. अजमेर	भीलवाड़ा
148.	हीरा पुत्री श्री हनुमानराम	म.बं.सु.गृ. जोधपुर	बाड़मेर
149.	भूरा उर्फ बैजनाथ पुत्र दीवानसिंह	के.का. भरतपुर	धौलपुर
150.	सुरेन्द्रसिंह पुत्र अमरसिंह	के.का. भरतपुर	धौलपुर

उपरोक्त बंदियों के प्रकरणों में समिति द्वारा निम्नभांति निर्णय लिया गया :-

1. स्वीकृत प्रकरणों का विवरण :-

क्र.सं.	बंदी का नाम मय वल्दियत	जेल का नाम, जहां बंदी सजा भुगत रहा है।	गृह जिला	विशेष विवरण
1.	2.	3.	4.	5.
1.	प्रकाश पुत्र नानजी	के.का. उदयपुर	उदयपुर	-
2.	भैरूलाल पुत्र ऊंकार लाल	के.का. उदयपुर	राजसमंद	बंदी के परिजन द्वारा देखभाल, भरण-पोषण करने हेतु शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर।
3.	मनोहरी देवी उर्फ सुशीला पत्नी कैलाश	म.बं.सु.गृ. जोधपुर	पाली	-
4.	जसवंत सिह उर्फ जस्सा सिह पुत्र गुरदेव सिह	के.का. श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	-
5.	बनवारी पुत्र दीवान सिंह	के.का. भरतपुर	धौलपुर	-
6.	बाबु खाँ पुत्र फतह मोहम्मद	के.का. उदयपुर	उदयपुर	-
7.	दीपा उर्फ दीपचन्द पुत्र पेमा	के.का. उदयपुर	चित्तौड़ गढ़	-
8.	शिम्भु दयाल पुत्र रमेश चन्द	वि.के.का. श्यालावास (दौसा)	जयपुर	-
9.	द्वारकालाल पुत्र चम्पालाल	के.का. कोटा	बारां	-
10.	दर्शन सिंह पुत्र हजूर सिंह	के.का. बीकानेर	श्रीगंगानगर	बंदी के परिजन द्वारा देखभाल, भरण-पोषण करने हेतु शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर।
11.	प्रभु उर्फ प्रभुलाल पुत्र नानजी	के.का. उदयपुर	डूंगरपुर	-

12.	भवानी सिंह पुत्र दयाराम	के.का. बीकानेर	झुन्झुनू	–
13.	लाला पुत्र कालु	के.का. उदयपुर	उदयपुर	–
14.	रामअवतार पुत्र मोरपाल	जि.का. टोंक	टोंक	–
15.	प्रकाश भारती पुत्र लक्ष्मण भारती	के.का. जोधपुर	पाली	–
16.	हरकेश पुत्र राजाराम	वि.के.का. श्यालावास (दौसा)	दौसा	–
17.	महेश पुत्र रामकिशोर	के.का. जयपुर	जयपुर	–
18.	रामस्वरूप पुत्र हीरा	के.का. कोटा	बून्दी	–
19.	दातार सिंह पुत्र मालसिंह	के.का. अलवर	चूरू	–
20.	सतीश उर्फ कटारिया पुत्र उमराव	के.का. बीकानेर	झुन्झुनू	–
21.	हीरालाल पुत्र कल्लू	के.का. कोटा	बारां	–
22.	फतेह सिंह पुत्र प्रताप सिंह	के.का. उदयपुर	उदयपुर	बंदी के परिजन द्वारा देखभाल, भरण–पोषण करने हेतु शपथ–पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर।
23.	दीपाराम पुत्र भारताराम	के.का. जोधपुर	जालोर	–
24.	मोहनसिंह पुत्र मूलसिंह	के.का. अजमेर	नागौर	–
25.	रामचन्दों पत्नी मोहर सिंह	म.बं.सु.गृ. बीकानेर	चूरू	–
26.	अनिल पुत्र पूरण सिंह	वि.के.का. श्यालावास (दौसा)	अलवर	–
27.	विजय सिंह पुत्र प्रताप सिंह	के.का. अजमेर	अजमेर	बंदी के परिजन द्वारा देखभाल, भरण–पोषण करने हेतु शपथ–पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर।

28.	मोहन लाल धानका पुत्र बिरदाराम	के.का. जयपुर	जयपुर	–
29.	देवीलाल पुत्र रतनलाल	के.का. उदयपुर	चित्तौड़ गढ़	–
30.	प्यारेलाल पुत्र रामजीलाल	वि.के.का. श्यालावास (दौसा)	दौसा	–
31.	अर्जुनलाल पुत्र बोदूराम	के.का. जयपुर	जयपुर	–
32.	भीमसिंह पुत्र अमरसिंह	के.का. जोधपुर	पाली	–
33.	गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी पुत्र बलविन्द्र सिंह उर्फ गुरदेव सिंह	के.का. बीकानेर	हनुमानगढ़	–
34.	ओमप्रकाश उर्फ ओमी पुत्र जयनारायण	वि.के.का. श्यालावास (दौसा)	जयपुर	–
35.	योगेश उर्फ चिन्टु पुत्र राजाराम	वि.के.का. श्यालावास (दौसा)	दौसा	–
36.	विजेन्द्र पुत्र नन्दकिशोर	के.का. भरतपुर	धौलपुर	–
37.	नीरज जाटव पुत्र कालुराम उर्फ बादशाह	वि.के.का. श्यालावास (दौसा)	अलवर	–
38.	रवि शर्मा उर्फ रवि कुमार पुत्र हरिओम जैमन	वि.के.का. श्यालावास (दौसा)	अलवर	–
39.	सोनू पुत्र छोटे	के.का. भरतपुर	करौली	–
40.	श्रीमती कान्ता पत्नी लालू उर्फ लालजी	के.का. उदयपुर	बांसवाड़ा	–
41.	अशोक कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद	के.का. कोटा	शिवपुरी (म.प्र.)	–
42.	हीराराम पुत्र भीमाजी	के.का. जोधपुर	पाली	–
43.	रामावतार पुत्र रामभरोसी	वि.के.का. श्यालावास (दौसा)	दौसा	–

44.	रविन्द्र पुत्र रतनाराम	के.का. अजमेर	नागौर		–
45.	कन्नौ सिंह पुत्र खूमसिंह	के.का. कोटा	बून्दी		–
46.	वनाराम पुत्र वेलाराम	के.का. जोधपुर	पाली		–
47.	नत्थुराम उर्फ नथाराम पुत्र भंवरलाल	के.का. जोधपुर	पाली		–
48.	पप्पू उर्फ रामजीलाल पुत्र किशन लाल	वि.के.का. श्यालावास (दौसा)	दौसा		–

2. <u>अस्वीकृत प्रकरणों का विवरण</u> :-

1. **प्रेम कुमार उर्फ लाला पुत्र दीनानाथ, वि.के.का.श्यालावास (दौसा)**

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 09 माह 20 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को अंतर्गत धारा 395 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास एवं दिनांक 26.10.2020 को 04 दिवस का रेमिशन जब्त करने के जेलदण्ड से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) व (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी प्रेम कुमार उर्फ लाला पुत्र दीनानाथ** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

2. **जसपाल सिंह पुत्र रघुवीर सिंह, के.का. अलवर**

बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 09 माह 19 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। दण्डाधिकारी न्यायालय द्वारा बंदी को अंतर्गत धारा 376/511 आई.पी.सी. एवं 3/4 पोक्सो एक्ट में 07 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है, जो जघन्य एवं घृणित अपराध है। वर्तमान में बंदी की आयु 28 वर्ष है एवं खुला बंदी शिविरों में बंदियों के परिवार जन भी रहते है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी जसपाल सिंह पुत्र रघुवीर सिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

3. भंवर पुत्र हरफूल, के.का. कोटा

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 09 माह 18 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी निम्नांकित प्रकरणों में दण्डित है :-

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, करौली के प्रकरण संख्या 27/2012 में निर्णय दिनांक 13.11.2018 को 01 वर्ष कठोर कारावास, जुर्माना 10,000/- अ.अ. 01 माह साधारण कारावास से दण्डित किया गया। मूल सजा सेटऑफ में समाप्त हो चुकी है किन्तु जुर्माना सजा भुगताई जानी शेष है।
2. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, करौली द्वारा प्रकरण संख्या 67/2009 में निर्णय दिनांक 19.02.2020 को 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित (जमानत पर)।
3. माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बाड़ी, जिला-धौलपुर के प्रकरण संख्या 72/2014 अंतर्गत धारा 302, 364 आई.पी.सी. में निर्णय दिनांक 10.03.2016 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया।

थानाधिकारी पुलिस थाना, सरमथुरा, धौलपुर के आपराधिक रिकॉर्ड में बंदी के 27 आपराधिक रिकॉर्ड बताये है, जिससे उक्तानुसार बंदी राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के नियम 3 (च) एवं 4 क के अनुसार साधारणतया खुला बंदी शिविर में भिजवाने का पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल द्वारा बंदी के हार्डकोर होने के कारण खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी भंवर पुत्र हरफूल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

4. **नत्था सिंह पुत्र अंग्रेज सिंह, के.का. बीकानेर**

बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 09 माह 18 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी माननीय विशिष्ट अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पी.सी.पी.एन.डी.टी.) एक्ट, बीकानेर के प्रकरण संख्या 223/2018 अंतर्गत धारा 42 राजस्थान कारागार अधिनियम में जरिये प्रोडक्शन वारण्ट, जिसमें बंदी जमानत पर है, जिसका निस्तारण नहीं हुआ है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी नत्था सिंह पुत्र अंग्रेज सिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया। बंदी के उक्त प्रकरण के निस्तारण के पश्चात् खुला बंदी शिविर में भिजवाये जाने हेतु विचार किया जायेगा।

5. तेजा पुत्र सामा, के.का. उदयपुर

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 09 माह 10 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। पूर्व में बंदी को दिनांक 26.02.1993 से 26.04.1993 तक अंतरिम जमानत पर रिहा किया परन्तु बंदी दिनांक 26.04.1993 को जेल दाखिल नहीं होकर दिनांक 27.02.1993 से दिनांक 23.06.2016 तक अंतरिम जमानत से फरार रहा एवं जेल उद्योगशाला से निरन्तर अनुपस्थित रहने के कारण दिनांक 17.10.2019 को औपचारिक चेतावनी के जेलदण्ड से दण्डित किया गया, जिसके उपरान्त भी जेल उद्योगशाला से अनुपस्थित रहा। जिसके कारण अधीक्षक जेल ने दिनांक 23.04.2020 को उद्योगशाला से अनुपस्थित रहने तक परिहार से वंचित किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) व (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी तेजा पुत्र सामा** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

6. मुन्नाराम उर्फ मुनिया पुत्र गणेशराम, के.का. अजमेर

बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 09 माह 10 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी अंतर्गत धारा 376 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित एवं जेल उद्योगशाला से निरंतर अनुपस्थित रहने पर अधीक्षक जेल द्वारा बंदी को दिनांक 17.12.2019 को बंदी को 01 माह की मुलाकात सुविधा से वंचित किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) व (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मुन्नाराम उर्फ मुनिया पुत्र गणेशराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

7. रामसिंह उर्फ सियाराम उर्फ कालूराम पुत्र बिहारी सिंह, के.का. अलवर

बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 09 माह 09 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (जी) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है, इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम

1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है। उक्त के अतिरिक्त दण्डाधिकारी न्यायालय द्वारा बंदी को अंतर्गत धारा 5/6 पोक्सो एक्ट में भी आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है, जो जघन्य एवं घृणित अपराध है। बंदी की वर्तमान में आयु भी 32 वर्ष है एवं खुला बंदी शिविर में बंदियों के परिवार जन भी रहते है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी रामसिंह उर्फ सियाराम उर्फ कालूराम पुत्र बिहारी सिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

8. महेन्द्र कुमार पुत्र रामकुमार, के.का. श्रीगंगानगर

बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 08 माह 18 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी अंतर्गत धारा 460 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित होने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत पात्र नहीं है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी महेन्द्र कुमार पुत्र रामकुमार** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

9. बापूलाल पुत्र भंवरलाल, के.का. कोटा

बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 08 माह 10 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगती है। बंदी को माननीय विशिष्ट न्यायाधीश, एनडीपीएस एक्ट, छबड़ा (बारां) द्वारा प्रकरण संख्या 96/2012 अंतर्गत धारा 8/18 एन.डी.पी.एस. एक्ट में 14 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है। खुला बंदी शिविर में बंदी अधिक समय तक स्वतंत्र रूप में रहता है, जिससे बंदी के पुनः मादक पदार्थो की तस्करी में संलिप्त होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी बापूलाल पुत्र भंवरलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

10. दिनेश पुत्र गिरधारी, के.का. भरतपुर

बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 08 माह 04 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी अंतर्गत धारा 376 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित होने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत पात्र नहीं है, के

कारण अधीक्षक जेल ने उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी दिनेश पुत्र गिरधारी** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

11. सरोज देवीं उर्फ बादू देवी पत्नी महेन्द्र कुमार, के.का. बीकानेर

महिला बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 08 माह 01 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। महिला बंदी अंतर्गत धारा 460 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित होने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **महिला बंदी सरोज देवी उर्फ बादू देवी पत्नी महेन्द्र कुमार** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

12. शिवचरण पुत्र बाबूलाल बैरवा, के.का. जयपुर

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 08 माह 01 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी, खुला बंदी शिविर, दौसा से दिनांक 17.11.2020 को प्रातःकाल रोलकॉल में उपस्थित नहीं होकर फरार हो गया। जिसके कारण बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना-सदर, दौसा में एफ.आई.आर. संख्या 327/2020 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. में दर्ज कराई गई। पुलिस थाना-सदर, दौसा द्वारा बंदी को दिनांक 23.11.2020 को गिरफ्तार कर जिला कारागृह, दौसा में दाखिल कराया गया। बंदी का फरारी प्रकरण अभी निस्तारित नहीं हुआ है, जिसमें बंदी अभी जमानत पर है।

इस प्रकार बंदी राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी शिवचरण पुत्र बाबूलाल बैरवा** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

13. दीपक पुत्र मदनलाल, के.का. जोधपुर

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 07 माह 24 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी के प्रकरण पर माननीय

न्यायालय के आदेश की पालना में पृथक् से विचार किया जा चुका है।

14. **रामकुमार पुत्र गोविन्द राम, के.का. श्रीगंगानगर**

बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 07 माह 22 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को अंतर्गत धारा 376 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है, इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी रामकुमार पुत्र गोविन्द राम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

15. **मो. फिरोज पुत्र ईशाक मो., के.का. उदयपुर**

बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 07 माह 18 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को माननीय विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस प्रकरण संख्या 02, चित्तौडगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 174/2014 अंतर्गत धारा 8/18 एन.डी.पी.एस. एक्ट में 12 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है। खुला बंदी शिविर में बंदी अधिकांश समय तक स्वतंत्र रूप में रहता है, जिससे बंदी के पुनः मादक पदार्थो की तस्करी में संबंधित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मो. फिरोज पुत्र ईशाक मो.** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

16. **जगदीश उर्फ जग्गी पुत्र छोटेलाल, के.का. अलवर**

बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 07 माह 15 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (एफ) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है। उक्त के अतिरिक्त दण्डाधिकारी न्यायालय द्वारा बंदी को अंतर्गत धारा 5 (एम)/6 पोकसो एक्ट में भी 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है, जो जघन्य एवं घृणित अपराध है। बंदी की वर्तमान में आयु 30 वर्ष है एवं खुला बंदी शिविर में बंदियों के परिवार जन भी रहते है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी जगदीश उर्फ जग्गी पुत्र छोटेलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

17. **भींवाराम पुत्र आशाराम, के.का. बीकानेर**

बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 07 माह 11 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिरसा (हरियाणा) के एफ.आई.आर. संख्या 92/29.07.1999 अंतर्गत धारा 15 एन.डी.पी.एस. एक्ट में बंदी (जमानत पर) विचाराधीन है। अधीक्षक जेल ने भी बंदी को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने की प्रवंदना की है।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी भींवाराम पुत्र आशाराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

18. **हरदयाल पुत्र रामबाबु, वि.के.का. श्यालावास (दौसा)**

बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 07 माह 11 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को अंतर्गत धारा 376 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत पात्र नहीं है। उक्त के अतिरिक्त दण्डाधिकारी न्यायालय द्वारा बंदी को अंतर्गत धारा 4, 6 पोक्सो एक्ट में भी दण्डित किया गया है, जो जघन्य एवं घृणित अपराध है। बंदी की वर्तमान में आयु 30 वर्ष है एवं खुला बंदी शिविर में बंदियों के परिवार जन भी रहते है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी हरदयाल पुत्र रामबाबु** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

19. **रामफूल उर्फ फूलाराम पुत्र भूराराम, के.का. जयपुर**

बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 07 माह 06 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी के विरूद्ध दर्ज एफ.आई. आर नं. 262 दिनांक 05.12.2018 में जमानत पर आजाद है। जिसका निस्तारण नहीं हुआ है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी रामफूल उर्फ फूलाराम पुत्र भूराराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया। बंदी के उक्त प्रकरण का निस्तारण होने पर बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने पर विचार किया जायेगा।

20. **जयनारायण पुत्र ओमप्रकाश, के.का. श्रीगंगानगर**

बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 07 माह 03 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को अंतर्गत धारा 460 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है, इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अत: उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी जयनारायण पुत्र ओमप्रकाश** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

21. **सुधीर उर्फ पप्पू सोनी पुत्र हरस्वरूप सोनी, के.का. भरतपुर**

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 06 माह 29 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी द्वारा जेल उद्योगशाला से माह अप्रैल, 2019 से नवंबर, 2019 तक जेल उद्योगशाला से अनुपस्थित रहने व आवंटित कार्य नहीं करने के फलस्वरूप अधीक्षक जेल द्वारा बंदी को दिनांक 12.02.2020 को जेल उद्योगशाला में नियमित रूप से जाने व आवंटित कार्य पूर्ण करने की औपचारिक चेतावनी दी गई। अधीक्षक जेल ने बंदी का आचरण असंतोषप्रद बताते हुए उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

उक्त के अतिरिक्त दण्डाधिकारी न्यायालय द्वारा बंदी को अंतर्गत धारा 5/6 पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है, जो जघन्य एवं घृणित अपराध है।

अत: उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सुधीर उर्फ पप्पू सोनी पुत्र हरस्वरूप सोनी** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

22. **चैनाराम पुत्र गेबाराम, के.का. जोधपुर**

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 06 माह 29 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को अंतर्गत धारा 376 (डी) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है, इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अत: उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी चैनाराम पुत्र गेबाराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

23. लक्ष्मणलाल पुत्र हेमाजी, के.का. जोधपुर

बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 06 माह 26 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगती है। बंदी को माननीय विशिष्ट न्यायाधीश, नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्रीपिक सब्सटेन्स, सिरोही द्वारा प्रकरण संख्या 12/2012 अंतर्गत धारा 8/15 एन.डी.पी. एस. एक्ट में 15 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है। खुला बंदी शिविर में बंदी अधिक समय तक स्वतंत्र रूप में रहता है, जिससे बंदी के पुन: मादक पदार्थो की तस्करी में संलिप्त होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी लक्ष्मणलाल पुत्र हेमाजी** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

24. देवीलाल पुत्र ऐकाजी, के.का. जोधपुर

बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 06 माह 26 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगती है। बंदी को माननीय विशिष्ट न्यायाधीश, नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्रीपिक सब्सटेन्स, सिरोही द्वारा प्रकरण संख्या 12/2012 अंतर्गत धारा 8/15 एन.डी.पी. एस. एक्ट में 15 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है। खुला बंदी शिविर में बंदी अधिक समय तक स्वतंत्र रूप में रहता है, जिससे बंदी के पुन: मादक पदार्थो की तस्करी में संलिप्त होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी देवीलाल पुत्र ऐकाजी** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

25. हिम्मत मीणा पुत्र बद्रीनारायण, वि.के.का. श्यालावास (दौसा)

बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 06 माह 25 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (जी) व 394 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में क्रमश: आजीवन कारावास व 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है।

उक्त के अतिरिक्त दण्डाधिकारी न्यायालय द्वारा बंदी को अंतर्गत धारा 3/4 व 5/6 पोक्सो एक्ट में भी क्रमश: 10 वर्ष

कठोर कारावास व आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है, जो जघन्य एवं घृणित अपराध है। वर्तमान मे बंदी की आयु 30 वर्ष है एवं खुला बंदी शिविरों में बंदियों के परिवार जन भी रहते है।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी हिम्मत मीणा पुत्र बद्रीनारायण** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

26. सन्नी उर्फ दीपक पुत्र भागचन्द, के.का. बीकानेर

बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 06 माह 20 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को अंतर्गत धारा 376 (डी) (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भिजवाये जाने की प्रवंदना नहीं की है।

उक्त के अतिरिक्त दण्डाधिकारी न्यायालय द्वारा बंदी को अंतर्गत धारा 5/6 पोक्सो एक्ट में भी आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है, जो जघन्य एवं घृणित अपराध है। वर्तमान में बंदी की आयु 27 वर्ष है एवं खुला बंदी शिविरों में बंदियों के परिवार जन भी रहते है।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सन्नी उर्फ दीपक पुत्र भागचन्द** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

27. जगदीश पुत्र हुकमाराम, के.का. बीकानेर

बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 06 माह 14 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (एफ) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल तक) से दण्डित किया गया है, इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

उक्त के अतिरिक्त बंदी माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर के प्रकरण संख्या 242/2010 एफ.आई.आर. संख्या 55/2010 पुलिस थाना कोतवाली, सीकर में विचाराधीन (जमानत पर) भी है।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी जगदीश पुत्र हुकमाराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

28. प्रभुराम पुत्र ओबाजी, के.का. जोधपुर

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 06 माह 14 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। पूर्व में बंदी को द्वितीय पैरोल पर दिनांक 17.06.2019 से दिनांक 16.07.2019 तक रिहा किया गया, परन्तु बंदी नियत दिनांक 16.07.2019 को उपस्थित न होकर फरार हो गया। बंदी को माननीय न्यायालय एम.एम. संख्या 01, जोधपुर के आदेशानुसार दिनांक 15.12.2019 को केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर में दाखिल करवाया गया, वर्तमान में बंदी उक्त फरारी प्रकरण में विचाराधीन है।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं हैं, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी प्रभुराम पुत्र ओबाजी** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

29. सुरेश बैरवा पुत्र कस्तुरचंद, के.का. कोटा

बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 06 माह 14 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को अंतर्गत धारा 376 (घ) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है, इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सुरेश बैरवा पुत्र कस्तुरचंद** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

30. दुर्गाशंकर पुत्र छोटूलाल, के.का. कोटा

बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 06 माह 13 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को अंतर्गत धारा 376 (घ) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है, इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी दुर्गाशंकर पुत्र छोटूलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

31. अशोक कुमार उर्फ अशोकी पुत्र हनुमान, उ.सु.का. अजमेर

बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 06 माह 11 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। माननीय एम.जे.एम. न्यायालय, श्रीगंगानगर के एफ.आई.आर. संख्या 322/2014 अंतर्गत धारा 332, 353 आई.पी.सी. में बंदी विचाराधीन है।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी अशोक कुमार उर्फ अशोकी पुत्र हनुमान** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया। बंदी के उक्त प्रकरण के निस्तारण के पश्चात् खुला बंदी शिविर में भिजवाये जाने हेतु विचार किया जायेगा।

32. राकेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश, के.का. श्रीगंगानगर

बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 06 माह 08 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को अंतर्गत धारा 460 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है, इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी राकेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

33. कलाम पुत्र हुसैन भाई, के.का. कोटा

बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 06 माह 03 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (जी) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है, इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी कलाम पुत्र हुसैन भाई** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

34. देवेन्द्र कुमार पुत्र सहीराम, के.का. श्रीगंगानगर

बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 06 माह की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को अंतर्गत धारा 460 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है, इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अत: उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी देवेन्द्र कुमार पुत्र सहीराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

35. जगमोहन सिंह पुत्र गुरूनाम सिंह, के.का. जोधपुर

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 05 माह 13 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी अंतर्गत धारा 5/9 ख, 6/9 ख विस्फोटक अधिनियम, 4, 5, 6 विस्फोटक अधिनियम 1908, 3/25 आर्म्स एक्ट, 7/25 (1) डी (1-एए) आर्म्स एक्ट एवं 3/10, 13, 18, 20 विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 2008 में दण्डित होने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ख) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी जगमोहन सिंह पुत्र गुरूनाम सिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

36. पूरण सिंह पुत्र रामसिंह, वि.के.का. श्यालावास (दौसा)

बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 05 माह 13 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को अंतर्गत धारा 394/120 बी आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत पात्र नहीं है।

अत: उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी पूरण सिंह पुत्र रामसिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

37. रमेश उर्फ देवीलाल पुत्र रामा, के.का. उदयपुर

बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 05 माह 10 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी के जेल उद्योगशाला से

निरंतर अनुपस्थित रहने पर अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 17.10.2019 को सी.एन.डब्लू. पद से साधारण बंदी पर पदावनत किये जाने एवं दिनांक 23.04.2020 को उद्योगशाला से अनुपस्थित रहने तक परिहार से वंचित किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी का आचरण असंतोषप्रद बताते हुए उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

उक्त के अतिरिक्त दण्डाधिकारी न्यायालय द्वारा बंदी को अंतर्गत धारा 4 पोक्सो एक्ट में दण्डित किया गया है, जो जघन्य एवं घृणित अपराध है।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी रमेश उर्फ देवीलाल पुत्र रामा** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

38. सुरेश पांगा पुत्र बाबुलाल, के.का. अजमेर

बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 04 माह 25 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को अंतर्गत धारा 396 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है, इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सुरेश पांगा पुत्र बाबुलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

39. लाला उर्फ लालशंकर उर्फ जीगर पुत्र गटूलाल, के.का. उदयपुर

बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 04 माह 24 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को अंतर्गत धारा 376 (डी) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है, इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं होने के कारण अधीक्षक जेल ने उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी लाला उर्फ लालशंकर उर्फ जीगर पुत्र गटूलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

40. नरेश उर्फ नैनाराम पुत्र गणेश राम, के.का. अजमेर

बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 04 माह 20 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को अंतर्गत धारा 376 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है तथा बंदी के जेल उद्योगशाला से माह जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2019 तक अनुपस्थित रहने पर अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 17.12.2019 को 04 दिवस अर्जित परिहार जब्त के जेलदण्ड से दण्डित किया गया। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) व (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

उक्त के अतिरिक्त बंदी माननीय अपर सेशन न्यायाधीश, संख्या 02, नागौर के प्रकरण संख्या 31/2012 अंतर्गत धारा 363, 366, 376 आई.पी.सी. तथा प्रकरण संख्या 448/2012 अंतर्गत धारा 363, 366, 376 आई.पी.सी. में वांछित भी है।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी नरेश उर्फ नैनाराम पुत्र गणेश राम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

41. भैरूलाल पुत्र नारायण लाल, के.का. उदयपुर

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 04 माह 15 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगती है। बंदी को माननीय विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. प्रकरण, संख्या 01, चित्तौड़गढ़ द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 22/2001 अंतर्गत धारा 8/18 एन.डी.पी.एस. एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है। खुला बंदी शिविर में बंदी अधिकांश समय तक स्वतंत्र रूप में रहता है, जिससे बंदी के पुनः मादक पदार्थ की तस्करी में संलिप्त होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी भैरूलाल पुत्र नारायण लाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

42. संदीप पुत्र नवरंगी, के.का. जोधपुर

बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 04 माह 11 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (च) (झ) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए) से दण्डित किया गया है, इस प्रकार वह

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी संदीप पुत्र नवरंगी** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

43. सोनू उर्फ रियासत अली पुत्र निसार अहमद, के.का. कोटा

बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 04 माह 11 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (जी) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है, इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सोनू उर्फ रियासत अली पुत्र निसार अहमद** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

44. कानाराम पुत्र बीरबलराम, के.का. श्रीगंगानगर

बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 04 माह 02 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को अंतर्गत धारा 376 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी कानाराम पुत्र बीरबलराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

45. मुकेश स्वामी पुत्र बंशीधर, वि.के.का. श्यालावास (दौसा)

बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 03 माह 26 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को अंतर्गत धारा 395 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है।

अत: उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मुकेश स्वामी पुत्र बंशीधर** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

46. किशन खटीक पुत्र लोंगर खटीक, के.का. भरतपुर

बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 03 माह 25 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी माननीय ए.सी.जे.एम. संख्या 02, उदयपुर के प्रकरण संख्या 240/2007 अंतर्गत धारा 379, 236 आई.पी.सी. (जमानत पर है) तथा माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश-04, उदयपुर के प्रकरण संख्या 42/2017 अंतर्गत धारा 302 आई.पी.सी. में वांछित है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी किशन खटीक पुत्र लोंगर खटीक** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया। बंदी के उक्त प्रकरण के निस्तारण के पश्चात् खुला बंदी शिविर में भिजवाये जाने हेतु विचार किया जायेगा।

47. नरेन्द्र उर्फ नरेन्द्र सिंह पुत्र मिश्रीलाल, के.का. कोटा

बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 03 माह 23 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को अंतर्गत धारा 394 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है, इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भिजवाये जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अत: उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी नरेन्द्र उर्फ नरेन्द्र सिंह पुत्र मिश्रीलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

48. जगदीश पुत्र कृष्णलाल, के.का. श्रीगंगानगर

बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 03 माह 21 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को अंतर्गत धारा 376 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है, इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भिजवाये जाने की प्रवंदना नहीं की है।

उक्त के अतिरिक्त दण्डाधिकारी न्यायालय द्वारा बंदी को अंतर्गत धारा 3/4 पोक्सो एक्ट में भी 10 वर्ष कठोर कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है, जो जघन्य एवं घृणित अपराध है। वर्तमाान में बंदी की आयु 28 वर्ष है एवं खुला बंदी शिविरों में बंदियों के परिवार जन भी रहते है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी जगदीश पुत्र कृष्णलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

49. रोहन शर्मा पुत्र दुर्गा शर्मा, के.का. अलवर

बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 03 माह 19 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को अंतर्गत धारा 376 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत पात्र नहीं है।

उक्त के अतिरिक्त दण्डाधिकारी न्यायालय द्वारा बंदी को अंतर्गत धारा 5 एम/6 पोक्सो एक्ट में भी आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है, जो जघन्य एवं घृणित अपराध है। वर्तमान में बंदी की आयु 29 वर्ष है एवं खुला बंदी शिविरों में बंदियों के परिवार जन भी रहते है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी रोहन शर्मा पुत्र दुर्गा शर्मा** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

50. राजकुमार उर्फ राजु पुत्र सीताराम उर्फ सत्यनारायण, के.का. अजमेर

बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 03 माह 08 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को 02 से अधिक निम्न प्रकरणों में दण्डित किया गया है :-

1. माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 626/2013 अंतर्गत धारा 420, 406 आई.पी.सी. में 01 वर्ष 08 माह कठोर कारावास।
2. माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 622/2013 अंतर्गत धारा 420, 406 आई.पी.सी. में 01 वर्ष 08 माह कठोर कारावास।

3. माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, लाडनूं, जिला-नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 443/2011 अंतर्गत धारा 420 आई.पी.सी. में 01 वर्ष साधारण कारावास।

4. माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीडवाना, जिला-नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 317/2013 अंतर्गत धारा 420 आई.पी.सी. में 03 वर्ष कठोर कारावास।

5. माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीडवाना, जिला-नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 318/2013 अंतर्गत धारा 420 आई.पी.सी. में 03 वर्ष कठोर कारावास।

6. माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीडवाना, जिला-नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 319/2013 अंतर्गत धारा 420 आई.पी.सी. में 03 वर्ष कठोर कारावास।

7. माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, जायल, जिला-नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 175/2013 अंतर्गत धारा 420, 406 आई.पी.सी. में 01 वर्ष 06 माह कठोर कारावास।

8. माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 34/2015 अंतर्गत धारा 379/75 आई.पी.सी. में 05 वर्ष कठोर कारावास।

9. माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 353/2014 अंतर्गत धारा 379/75 आई.पी.सी. में 05 वर्ष कठोर कारावास।

10. माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 366/2015 अंतर्गत धारा 379/75 आई.पी.सी. में 05 वर्ष कठोर कारावास।

11. माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरगढ़, जिला बीकानेर द्वारा प्रकरण संख्या 200/2014 अंतर्गत धारा 379 आई.पी.सी. में 01 वर्ष 06 माह कठोर कारावास।

12. माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुजानगढ़, जिला नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 160/2014 अंतर्गत धारा 379 आई.पी.सी. में 02वर्ष कठोर कारावास।

13. माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 02, बीकानेर द्वारा प्रकरण संख्या 501/2011 अंतर्गत धारा 406, 420 आई.पी.सी. में 04 वर्ष साधारण कारावास।

बंदी दो से अधिक प्रकरणों में दण्डित होने के कारण वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (च) के साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र

नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए **बंदी राजकुमार उर्फ राजु पुत्र सीताराम उर्फ सत्यनारायण** को खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

51. मनोहर पुत्र विष्णु प्रकाश, के.का. अजमेर

बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 03 माह 05 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। दण्डाधिकारी न्यायालय द्वारा बंदी को अंतर्गत धारा 5/6 पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है, जो जघन्य एवं घृणित अपराध है। बंदी की वर्तमान में आयु 36 वर्ष है एवं खुला बंदी शिविरों बंदियों के परिवार जन भी रहते है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मनोहर पुत्र विष्णु प्रकाश** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

52. गणेश उर्फ लटूर पुत्र छोटेलाल, वि.के.का. श्यालावास (दौसा)

बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 03 माह 05 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (आई) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है, जो उसके शेष प्राकृत जीवनकाल के लिये कारावास अभिप्रेत होगा। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियग 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है।

उक्त के अतिरिक्त दण्डाधिकारी न्यायालय द्वारा बंदी को अंतर्गत धारा 5/6 पोक्सो एक्ट में भी आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है, जो जघन्य एवं घृणित अपराध है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी गणेश उर्फ लटूर पुत्र छोटेलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

53. रणजीत सिंह पुत्र विजय सिंह, वि.के.का. श्यालावास (दौसा)

बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 03 माह 04 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (एफ) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत पात्र नहीं है।

उक्त के अतिरिक्त दण्डाधिकारी न्यायालय द्वारा बंदी को अंतर्गत धारा 3/4 पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास के दण्ड से भी दण्डित किया गया है, जो जघन्य एवं घृणित अपराध है। बंदी की वर्तमान में आयु 35 वर्ष है एवं खुला बंदी शिविरों में बंदियों के परिवार जन भी रहते है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी रणजीत सिंह पुत्र विजय सिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

54. हीरदास उर्फ शक्ताराम पुत्र घेवरराम, के.का. जोधपुर

बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 03 माह 03 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (झ) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

उक्त के अतिरिक्त दण्डाधिकारी न्यायालय द्वारा बंदी को अंतर्गत धारा 3/4 पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष कारावास से दण्डित किया गया है, जो जघन्य एवं घृणित अपराध है। बंदी की वर्तमान में आयु 40 वर्ष है एवं खुला बंदी शिविरों में बंदियों के परिवार जन भी रहते है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी हीरदास उर्फ शक्ताराम पुत्र घेवरराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

55. बंटी उर्फ इरफान पुत्र कुर्बान अली, के.का. कोटा

बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 02 माह 23 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (जी) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है तथा माह जनवरी, 2020 से अक्टूबर, 2020 तक उद्योगशाला से अनुपस्थित रहने के कारण अधीक्षक जेल ने दिनांक 11.11.2020 को अनुपस्थित अवधि के रेमिशन से वंचित किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया है। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) व (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अत: उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी बंटी उर्फ इरफान पुत्र कुर्बान अली** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

56. उपेन्द्र उर्फ सोनू पुत्र हवजी, के.का. उदयपुर

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 02 माह 23 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। दिनांक 04.08.2019 को पुलिस जाब्ते द्वारा कारागृह में ली गई औचक तलाशी के दौरान बंदी से 01 मोबाईल मय सिम व चार्जर बरामद होने पर अधीक्षक जेल द्वारा बंदी का 04 दिवस अर्जित परिहार जब्त किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया।

उक्त के अतिरिक्त बंदी के जेल उद्योगशाला से अधिकतम अनुपस्थित रहने पर अधीक्षक जेल द्वारा बंदी को दिनांक 24.08.2020 को औपचारिक चेतावनी से दण्डित किया गया। इस प्रकार बंदी, राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (छ) के तहत साधारणतया तथा नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं हैं, कारण अधीक्षक जेल ने बंदी का आचरण असंतोषप्रद बताते हुए, उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अत: उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी उपेन्द्र उर्फ सोनू पुत्र हवजी** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

57. काऊ उर्फ कावा उर्फ रमेश पुत्र वालजी, के.का. उदयपुर

बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 02 माह 19 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी के अंतर्गत धारा 376 (डी) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने एवं जेल उद्योगशाला से निरंतर अनुपस्थित रहने पर अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 24.04.2020 को सी.एन.डब्ल्यू पद से पदावनत के जेलदण्ड से दण्डित किया गया है। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम (घ) (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी काऊ उर्फ कावा उर्फ रमेश पुत्र वालजी** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

58. हरसीलाल पुत्र देवफूल, के.का. जोधपुर

बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 02 माह 18 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। दण्डाधिकारी न्यायालय द्वारा बंदी

को अंतर्गत धारा 5 (एफ) (जे) (ाा) (एल) पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है, जो जघन्य एवं घृणित अपराध है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी हरसीलाल पुत्र देवफूल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

59. जगदीश पुत्र हरजी, के.का. कोटा

बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 02 माह 17 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी माननीय ए.सी.जे.एम. संख्या 03, कोटा के सी.आई.एस. संख्या 8301/2014 अंतर्गत धारा 148, 323, 325, 324 आई.पी.सी. में (जमानत पर) वांछित है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी जगदीश पुत्र हरजी** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया। बंदी के उक्त प्रकरण के निस्तारण के पश्चात् खुला बंदी शिविर में भिजवाये जाने हेतु विचार किया जायेगा।

60. रामदेव पुत्र सुगनाराम, के.का. अजमेर

बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 02 माह 16 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगती है। बंदी को माननीय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 01 (एन.डी.पी.एस. प्रकरण), ब्यावर, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 02/2013 अंतर्गत धारा 8/15 एन.डी.पी. एस. एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भिजवाये जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी रामदेव पुत्र सुगनाराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

61. नरेन्द्र कुमार पुत्र हीरा, के.का. अजमेर

बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 02 माह 16 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगती है। बंदी को माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं मादक पदार्थ प्रकरण और अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 01, ब्यावर, जिला-अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 02/2013 अंतर्गत धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है, अधीक्षक जेल ने बंदी का कार्य एवं आचरण असंतोषप्रद बताते हुए खुला बंदी शिविर में भिजवाये जाने की प्रवंदना नहीं की है। खुला बंदी शिविर

में बंदी अधिकांश समय तक स्वतंत्र रूप में रहता है। जिससे बंदी के पुनः मादक पदार्थो की तस्करी में संलिप्त होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी नरेन्द्र कुमार पुत्र हीरा** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

62. सलमान उर्फ लंगड़ा पुत्र भूरा खां, के.का. अजमेर

बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 02 माह 14 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को अंतर्गत धारा 376 (डी) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

उक्त के अतिरिक्त दण्डाधिकारी न्यायालय द्वारा बंदी को 5/6 पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है, जो जघन्य एवं घृणित अपराध है। बंदी की वर्तमान में आयु 25 वर्ष है एवं खुला बंदी शिविरों में बंदियों के परिवार जन भी रहते है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सलमान उर्फ लंगड़ा पुत्र भूरा खां** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

63. आशाराम उर्फ आशु पुत्र भंवरलाल, के.का. अजमेर

बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 02 माह 13 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को अंतर्गत धारा 376 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) सपठित धारा 3/4 पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। पूर्व में बंदी को दिनांक 02.09.2018 को 20 दिवस नियमित पैरोल पर रिहा किया गया था। बंदी बाद पैरोल दिनांक 21.09.2018 को जेल दाखिल नही होकर फरार हो गया। जिसके विरूद्ध पुलिस थाना, सिविल लाईन, अजमेर में एफ.आई.आर. संख्या 368/2018 दर्ज कराई गई। पुलिस थाना, सिविल लाईन, अजमेर द्वारा दिनांक 26.09.2018 को गिरफ्तार कर शेष सजा भुगताने हेतु जेल दाखिल करवाया गया। माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या-3, अजमेर द्वारा 58 बी एक्ट में 06 माह के साधारण कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी मूल सजा सेट ऑफ में समाप्त हो चुकी है। दिनांक 24.09.2020 को बंदी द्वारा अन्य बंदी शंकर पुत्र हासाराम के साथ मिलकर बंदी सुरेन्द्र पुत्र

मदन से झगड़ा व मारपीट की गई। अधीक्षक जेल द्वारा बंदी को उक्त कृत्य के लिये 01 माह पृथक् रखने एवं 04 दिवस अर्जित परिहार जब्त कर जेलदण्ड से दण्डित किया गया है।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) (घ) (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

उक्त के अतिरिक्त दण्डाधिकारी न्यायालय द्वारा बंदी को 3/4 पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है, जो जघन्य एवं घृणित अपराध है। बंदी की वर्तमान में आयु 26 वर्ष है एवं खुला बंदी शिविरों में बंदियों के परिवार जन भी रहते है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी आशाराम उर्फ आशु पुत्र भंवरलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

64. राजू बाई पत्नी रामचन्द्र उर्फ चन्दालाल, म.बं.सु.गृ. कोटा

महिला बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 02 माह 12 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगती है। माननीय विशिष्ट न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. एक्ट कोटा द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 192/2013 अंतर्गत धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट में महिला बंदी को 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है। खुला बंदी शिविर में बंदी अधिकांश समय तक स्वतंत्र रूप में रहता है। जिससे बंदी के पुन: मादक पदार्थो की तस्करी में संलिप्त होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अत: उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **महिला बंदी राजू बाई पत्नी रामचन्द्र उर्फ चन्दालाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

65. बिरधीलाल पुत्र बजरंगलाल, के.का. कोटा

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 02 माह 02 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगती है। बंदी को माननीय विशिष्ट न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट, कोटा द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 60/2013 अंतर्गत धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है। खुला बंदी शिविर में बंदी अधिकांश समय तक स्वतंत्र रूप में रहता है। जिससे बंदी के पुन: मादक पदार्थो की तस्करी में संलिप्त होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी बिरधीलाल पुत्र बजरंगलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

66. राजूलाल उर्फ राधेश्याम पुत्र रामलाल, के.का. कोटा

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 02 माह 02 दिवस की सजा मय विचाराधीन अवधि के भुगती है। बंदी को माननीय विशिष्ट न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट, कोटा द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 60/2013 अंतर्गत धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है। खुला बंदी शिविर में बंदी अधिकांश समय तक स्वतंत्र रूप में रहता है। जिससे बंदी के पुन: मादक पदार्थो की तस्करी में संलिप्त होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी राजूलाल उर्फ राधेश्याम पुत्र रामलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

67. हीरालाल पुत्र हरीचंद, के.का. जयपुर

बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 01 माह 24 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को अंतर्गत धारा 376 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है।

उक्त के अतिरिक्त दण्डाधिकारी न्यायालय द्वारा बंदी को अंतर्गत धारा 5 एम/6 पोक्सो एक्ट में भी 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है, जो जघन्य एवं घृणित अपराध है। बंदी की वर्तमान में आयु 29 वर्ष है एवं खुला बंदी शिविरों में बंदियों के परिवार जन भी रहते है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी हीरालाल पुत्र हरीचंद** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

68. प्रभुलाल पुत्र खिमा, के.का. उदयपुर

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 01 माह 24 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। दिनांक 04.08.2019 को पुलिस जाब्ते द्वारा कारागृह में ली गई औचक तलाशी के दौरान बंदी से 01 मोबाईल मय सिम बरामद होने पर अधीक्षक जेल द्वारा बंदी का 04 दिवस परिहार जब्त किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकार बंदी, राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (छ) के तहत साधारणतया तथा नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अत: उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी प्रभुलाल पुत्र खिमा** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

69. प्रभु पुत्र लादू, के.का. अजमेर

बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 01 माह 18 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (जी) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत पात्र नहीं होने के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी प्रभु पुत्र लादू** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

70. कुलदीप सिंह पुत्र गुरदेव सिंह, के.का. श्रीगंगानगर

बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 01 माह 17 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को अंतर्गत (धारा 376 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है। अधीक्षक जेल ने बंदी के प्रतिबंधित धारा में दण्डित होने से उसे खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

उक्त के अतिरिक्त दण्डाधिकारी न्यायालय द्वारा बंदी को अंतर्गत धारा 3/4 पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है, जो जघन्य एवं घृणित अपराध है। बंदी की वर्तमान में आयु 27 वर्ष है एवं खुला बंदी शिविरों में बंदियों के परिवार जन भी रहते है।

अत: उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी कुलदीप सिंह पुत्र गुरदेव सिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

71. **पूर्णमल खत्री पुत्र देबूराम खत्री, के.का. श्रीगंगानगर**

बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 01 माह 13 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (आई), 376 (2) (एन), 376 (2) (एच) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 15 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

उक्त के अतिरिक्त दण्डाधिकारी न्यायालय द्वारा बंदी को अंतर्गत धारा 3/4 पोक्सो एक्ट में भी 07 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है, जो जघन्य एवं घृणित अपराध है। बंदी की वर्तमान में आयु 39 वर्ष है एवं खुला बंदी शिविरों में बंदियों के परिवार जन भी रहते है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी पूर्णमल खत्री पुत्र देबूराम खत्री** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

72. **बाबूलाल पुत्र किशनलाल, वि.के.का. श्यालावास (दौसा)**

बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 01 माह 03 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी माननीय न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, बांदीकुई द्वारा प्रोडक्शन वारण्ट में प्रकरण संख्या 82/2012 में जमानत पर है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी बाबूलाल पुत्र किशनलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया। बंदी के उक्त प्रकरण के निस्तारण के पश्चात् खुला बंदी शिविर में भिजवाये जाने हेतु विचार किया जायेगा।

73. **महेन्द्र कुमार पुत्र रामेश्वर लाल, के.का. बीकानेर**

बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 01 माह की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को अंतर्गत धारा 376 (डी) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी महेन्द्र कुमार पुत्र रामेश्वर लाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

74. कैलाश पुत्र बरदा, के.का. अजमेर

बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 20 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी की आयु 60 वर्ष से अधिक 65 वर्ष होने एवं लाचार होने के कारण वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ज) व (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है।

उक्त के अतिरिक्त दण्डाधिकारी न्यायालय द्वारा बंदी को अंतर्गत धारा 4 पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है, जो जघन्य एवं घृणित अपराध है।

अत: उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी कैलाश पुत्र बरदा** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

75. बलबीर उर्फ बल्ली पुत्र होतीलाल, के.का. भरतपुर

बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 17 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को अंतर्गत धारा 376 (2) (जी) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी बलबीर उर्फ बल्ली पुत्र होतीलाल** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

76. कुरिया पुत्र हरजी खांट, के.का. उदयपुर

बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 16 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को अंतर्गत धारा 376 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है।

उक्त के अतिरिक्त दण्डाधिकारी न्यायालय द्वारा बंदी को अंतर्गत धारा 5 (ठ)/6 पोक्सो एक्ट में भी 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया है, जो जघन्य एवं घृणित अपराध है। बंदी की

वर्तमान में आयु 26 वर्ष है एवं खुला बंदी शिविरों में बंदियों के परिवार जन भी रहते है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी कुरिया पुत्र हरजी खांट** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

77. प्रभु सिंह पुत्र बहादुर सिंह, के.का. बीकानेर

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 12 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को अंतर्गत धारा 376 व 395 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में क्रमश: आजीवन कारावास एवं 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

पूर्व में बंदी को 20 दिवस प्रथम नियमित पैरोल पर दिनांक 16.12.2016 को रिहा कर दिनांक 04.01.2017 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। बंदी को अन्य प्रकरण संख्या 179/2005 पुलिस थाना कोतवाली अंतर्गत धारा 395, 120 बी आई. पी.सी. में गिरफ्तार कर दिनांक 12.02.2019 को जिला कारागृह, झुंझुनूं में दाखिल करवाया गया।

वर्तमान में बंदी की आयु 73 वर्ष है एवं वह लाचार है। इस कारण वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग), (घ), (ज) व (झ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अत: उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी प्रभु सिंह पुत्र बहादुर सिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

78. कैलाश उर्फ रतन पुत्र मगना, के.का. अजमेर

बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 10 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी के माह जनवरी, 2019 से माह दिसम्बर, 2019 तक जेल उद्योगशाला से स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित रहने पर अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 17.12.2019 को 04 दिवस अर्जित परिहार जब्त किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की हैं।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी कैलाश उर्फ रतन पुत्र मगना** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

79. हीरा पुत्री हनुमानराम, म.बं.सु.गृ. जोधपुर

महिला बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 09 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। दिनांक 25.09.2019 को जेल स्टाफ द्वारा तलाशी लेने पर तलाशी का विरोध किया एवं महिला प्रहरी अनिता पंवार, बैल्ट नं. 511 के साथ मारपीट करने लगी। महिला बंदी की तलाशी लेने पर महिला बंदी की कमर में बंधी सरस की थैली में से 01 मोबाईल मय सिम कार्ड मय चार्जर प्लेट बरामद होने पर 20 दिवस एस.टी.डी. सुविधा से वंचित किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) व (ख) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

उक्त के अतिरिक्त बंदी माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जोधपुर के प्रकरण संख्या 433/2019 अंतर्गत धारा 332, 352 आई.पी.सी. एवं 42 राजस्थान कारागार संशोधन अधिनियम, 2015 में वांछित है।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **महिला बंदी हीरा पुत्री हनुमानराम** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

80. भूरा उर्फ बैजनाथ पुत्र दीवान सिंह, के.का. भरतपुर

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 08 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, श्री महावीर जी, करौली के एफ.आई.आर. नं. 145/14, पुलिस थाना महावीरजी अंतर्गत धारा 457, 380 आई.पी.सी. में वांछित है। जिसका निस्तारण नहीं हुआ है।

अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी भूरा उर्फ बैजनाथ पुत्र दीवान सिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया। बंदी के उक्त प्रकरण के निस्तारण के पश्चात् खुला बंदी शिविर में भिजवाये जाने हेतु विचार किया जायेगा।

81. सुरेन्द्र पुत्र अमरसिंह, के.का. भरतपुर

बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 08 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी को अंतर्गत धारा 376 (क) आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवन काल के लिये) से दण्डित किये जाने से वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (घ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं होने के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी सुरेन्द्र पुत्र अमरसिंह** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया

3. <u>अग्रेषित प्रकरण :-</u>

1. **सोनपाल पुत्र रामजीलाल, के.का. भरतपुर**

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 09 माह 20 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी के प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया कि बंदी द्वारा माह अप्रैल 2019 से दिसम्बर 2019 तक उद्योगशाला में कार्य न करने के कारण अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 12.02.2020 को औपचारिक चेतावनी दी गई है। समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अधीक्षक जेल से यह स्पष्ट करावें कि इतनी लम्बी अवधि तक उद्योगशाला से अनुपस्थित रहने पर उनके द्वारा केवल औपचारिक चेतावनी का दण्ड ही क्यों दिया गया, की सूचना प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ रखा जावें।

2. **दिनेश उर्फ पहलवान पुत्र हेतराम, के.का. जयपुर**

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 09 माह 15 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी के प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया कि बंदी को दिनांक 03.10.2016 से 22.10.2016 तक 20 दिवस नियमित पैरोल अवकाश पर रिहा किया गया था। बंदी दिनांक 22.10.2016 को बाद पैरोल जेल दाखिल ना होकर फरार हो गया। बंदी को पुलिस थाना, प्रागपुरा द्वारा दिनांक 22.08.2018 को जेल दाखिल करवाया गया। समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बंदी की फरारी के उपरांत कारागृह में बंदी का कार्य एवं आचरण किस प्रकार है, की रिपोर्ट अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जयपुर से प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ रखा जावें।

3. **विष्णु कुमार पुत्र विनोद कुमार, के.का. भरतपुर**

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 08 माह 22 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी के प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया कि बंदी द्वारा माह जुलाई, 2019 से नवम्बर, 2019 तक उद्योगशाला में कार्य न करने के कारण अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 12.02.2020 को औपचारिक चेतावनी दी गई है। समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अधीक्षक जेल से यह स्पष्ट करावें कि इतनी लम्बी अवधि तक उद्योगशाला से अनुपस्थित रहने पर उनके द्वारा केवल औपचारिक चेतावनी का दण्ड ही क्यों दिया गया, की सूचना प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ रखा जावें।

4. **विजयपाल पुत्र केशवसिंह, के.का. भरतपुर**

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 08 माह 17 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी के प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया कि बंदी द्वारा माह मई, 2019 से दिसम्बर, 2019 तक उद्योगशाला में कार्य न करने के कारण अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 12.02.2020 को औपचारिक चेतावनी दी गई है। समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अधीक्षक जेल से यह स्पष्ट करावें कि इतनी लम्बी अवधि तक उद्योगशाला से अनुपस्थित रहने पर उनके द्वारा केवल औपचारिक चेतावनी का दण्ड ही क्यों दिया गया, की सूचना प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ रखा जावें।

5. **मोहनलाल पुत्र चम्पालाल, के.का. उदयपुर**

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 07 माह 23 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी के प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया कि बंदी के जेल उद्योगशाला से निरंतर अनुपस्थित रहने के कारण कार्य न करने पर अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 24.08.2020 को औपचारिक चेतावनी दी गई है। समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अधीक्षक जेल से यह स्पष्ट करावें कि बंदी निरंतर उद्योगशाला से अनुपस्थित रहने पर उनके द्वारा केवल औपचारिक चेतावनी का दण्ड ही क्यों दिया गया, की सूचना प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ रखा जावें।

6. **मोहनलाल उर्फ राजेश पुत्र मदनदास, के.का. अजमेर**

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 07 माह 04 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी के प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया कि बंदी द्वारा माह सितम्बर, 2019 से दिसम्बर, 2019 तक स्वेच्छा से उद्योगशाला से अनुपस्थित रहने के कारण अधीक्षक

जेल द्वारा दिनांक 17.12.2019 को औपचारिक चेतावनी दी गई है। समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अधीक्षक जेल से यह स्पष्ट करावें कि इतनी लम्बी अवधि तक उद्योगशाला से अनुपस्थित रहने पर उनके द्वारा केवल औपचारिक चेतावनी का दण्ड ही क्यों दिया गया, की सूचना प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ रखा जावें।

7. बलवीर उर्फ राज पुत्र शंकरसिंह, के.का. जयपुर

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 06 माह 17 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी के प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया कि अधीक्षक जेल ने बंदी के प्रकरण के बिन्दु संख्या 24 में बंदी के द्वारा माह जुलाई से अगस्त, 2019 तक कार्य नहीं करने, माह अप्रैल, 2019 एवं सितम्बर, 2019 से मार्च, 2020 तक उद्योगशाला से अनुपस्थित रहा है एवं नियम 4 (ख) के तहत पात्र नहीं होने तथा आचरण असंतोषप्रद बताते हुए खुला बंदी शिविर में भिजवाने की प्रवंदना नहीं की है, के संबंध में समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अधीक्षक जेल से यह स्पष्ट करावें कि बंदी के स्वेच्छा से उद्योगशाला से इतनी लम्बी अवधि तक अनुपस्थित रहने/कार्य नहीं करने पर भी उनके द्वारा बंदी को जेलदण्ड क्यों नहीं दिया गया, के संबंध में सूचना प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ रखा जावें।

8. राम सिंह पुत्र चमन सिंह, के.का. उदयपुर

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 06 माह 12 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी के प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया कि बंदी के जेल उद्योगशाला से निरंतर अनुपस्थित रहने के कारण कार्य न करने पर अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 24.08.2020 को औपचारिक चेतावनी दी गई है। समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अधीक्षक जेल से यह स्पष्ट करावें कि बंदी के निरंतर उद्योगशाला से अनुपस्थित रहने पर उनके द्वारा केवल औपचारिक चेतावनी का दण्ड ही क्यों दिया गया, की सूचना प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ रखा जावें।

9. आदपा उर्फ बसंतसिंह पुत्र नत्थीसिंह, के.का. भरतपुर

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 06 माह 03 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी के प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया कि बंदी द्वारा माह मई, 2019 से दिसम्बर, 2019 तक उद्योगशाला से अधिकांशतः अनुपस्थित रहने एवं कार्य न करने के कारण अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 12.02.2020 को औपचारिक

चेतावनी दी गई है। समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अधीक्षक जेल से यह स्पष्ट करावें कि इतनी लम्बी अवधि तक बंदी के उद्योगशाला से अनुपस्थित रहने पर उनके द्वारा बंदी को केवल औपचारिक चेतावनी का दण्ड ही क्यों दिया गया, की सूचना प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ रखा जावें।

10. दीवानसिंह पुत्र अमरसिंह, के.का. भरतपुर

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 05 माह 29 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी के प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया कि बंदी द्वारा माह मई, 2019 से नवम्बर, 2019 तक उद्योगशाला में कार्य न करने के कारण अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 12.02.2020 को औपचारिक चेतावनी दी गई है। समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अधीक्षक जेल से यह स्पष्ट करावें कि इतनी लम्बी अवधि तक बंदी के उद्योगशाला से अनुपस्थित रहने पर उनके द्वारा बंदी को केवल औपचारिक चेतावनी का दण्ड ही क्यों दिया गया, की सूचना प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ रखा जावें।

11. राजवीर पुत्र रामफल, के.का. भरतपुर

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 05 माह 26 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी के प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया कि बंदी द्वारा माह मई, जून, 2019 अधिकांश उद्योगशाला से अनुपस्थित एवं माह जुलाई, 2019 से नवम्बर 2019 तक उद्योगशाला में कार्य न करने के कारण अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 12.02.2020 को औपचारिक चेतावनी दी गई है। समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अधीक्षक जेल से यह स्पष्ट करावें कि इतनी लम्बी अवधि तक बंदी के उद्योगशाला से अनुपस्थित रहने पर उनके द्वारा बंदी को केवल औपचारिक चेतावनी का दण्ड ही क्यों दिया गया, की सूचना प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ रखा जावें।

12. कैलाशी पुत्र नत्थी सिंह, के.का. भरतपुर

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 05 माह 24 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी के प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया कि बंदी के उद्योगशाला से माह मई, 2019 में अधिकांशतः अनुपस्थित रहने, माह जून, 2019, सितम्बर, 2019 एवं माह अक्टूबर, 2019 से दिसम्बर, 2019 तक अधिकांशतः उद्योगशाला में कार्य नहीं करने के कारण अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 12.02.2020 को औपचारिक चेतावनी दी गई है। समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय

लिया गया कि अधीक्षक जेल से यह स्पष्ट करावें कि इतनी लम्बी अवधि तक बंदी के उद्योगशाला से अनुपस्थित रहने पर उनके द्वारा बंदी को केवल औपचारिक चेतावनी का दण्ड ही क्यों दिया गया, की सूचना प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ रखा जावें।

13. भरत कुमार पुत्र लक्ष्मण लाल, के.का. उदयपुर

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 04 माह 17 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी के प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया कि बंदी के जेल उद्योगशाला से निरंतर अनुपस्थित रहने के कारण कार्य न करने पर अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 24.08.2020 को औपचारिक चेतावनी दी गई है। समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अधीक्षक जेल से यह स्पष्ट करावें कि बंदी के उद्योगशाला से निरंतर अनुपस्थित रहने पर उनके द्वारा बंदी को केवल औपचारिक चेतावनी का दण्ड ही क्यों दिया गया, की सूचना प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ रखा जावें।

14. प्रभुलाल पुत्र गणेश, के.का. उदयपुर

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 03 माह 23 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी के प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया कि बंदी के पिछले 06 माह से जेल उद्योगशाला से निरंतर अनुपस्थित रहने के कारण कार्य न करने पर अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 23.04.2020 को औपचारिक चेतावनी दी गई है। समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अधीक्षक जेल से यह स्पष्ट करावें कि बंदी के 06 माह तक उद्योगशाला से निरंतर अनुपस्थित रहने पर उनके द्वारा बंदी को केवल औपचारिक चेतावनी का दण्ड ही क्यों दिया गया, की सूचना प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ रखा जावें।

15. जगन्नाथ पुत्र सोवरन, के.का. भरतपुर

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 02 माह 27 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी के प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया कि बंदी के द्वारा माह मई, 2019 से अगस्त, 2019 एवं माह सितम्बर, 2019 से नवम्बर, 2019 तक उद्योगशाला में कार्य न करने के कारण अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 12.02.2020 को औपचारिक चेतावनी दी गई है। समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अधीक्षक जेल से यह स्पष्ट करावें कि इतनी लम्बी अवधि तक बंदी के उद्योगशाला से अनुपस्थित रहने पर उनके द्वारा बंदी को केवल औपचारिक चेतावनी का दण्ड ही क्यों दिया गया, की सूचना प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ रखा जावें।

16. रब्बुल इस्लाम पुत्र आईसुदीन, के.का. अजमेर

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 02 माह 25 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी के प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया कि बंदी के द्वारा माह अगस्त, 2019 से दिसम्बर 2019 तक उद्योगशाला में कार्य न करने के कारण अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 17.12.2019 को औपचारिक चेतावनी दी गई है। समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अधीक्षक जेल से यह स्पष्ट करावें कि इतनी लम्बी अवधि तक बंदी के उद्योगशाला से अनुपस्थित रहने पर उनके द्वारा बंदी को केवल औपचारिक चेतावनी का दण्ड ही क्यों दिया गया, की सूचना प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ रखा जावें।

17. हिम्मत सिंह पुत्र मंगल सिंह, के.का. उदयपुर

बंदी ने दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 02 माह 14 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी के प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया कि बंदी के पिछले 06 माह से जेल उद्योगशाला से निरंतर अनुपस्थित रहने एवं कार्य न करने के कारण अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 23.04.2020 को औपचारिक चेतावनी दी गई है। समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अधीक्षक जेल से यह स्पष्ट करावें कि इतनी लम्बी अवधि तक बंदी के उद्योगशाला से निरंतर अनुपस्थित रहने पर उनके द्वारा बंदी को केवल औपचारिक चेतावनी का दण्ड ही क्यों दिया गया, की सूचना प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ रखा जावें।

18. सुग्रीव सिंह पुत्र वचन सिंह, के.का. भरतपुर

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक 08 वर्ष 02 माह 01 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है। बंदी के प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया कि बंदी द्वारा माह मार्च, 2019, माह मई, 2019 से जून, 2019 एवं माह जुलाई, 2019 से दिसम्बर, 2019 तक उद्योगशाला में कार्य न करने के कारण अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 12.02.2020 को औपचारिक चेतावनी दी गई है। समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अधीक्षक जेल से यह स्पष्ट करावें कि इतनी लम्बी अवधि तक बंदी के उद्योगशाला से निरंतर अनुपस्थित रहने पर उनके द्वारा बंदी को केवल औपचारिक चेतावनी का दण्ड ही क्यों दिया गया, की सूचना प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ रखा जावें।

4. अन्य प्रकरण :-

1. **श्रीमती देवलता कंवर पत्नी स्व. शक्ति सिंह, के.का. उदयपुर**

माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना में महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर के पत्रांक 15497-99 दिनांक 01.06.2021 के द्वारा महिला बंदी को पूर्व में ही खुला बंदी शिविर, सांगानेर पर भेजा जा चुका है।

2. **नन्दकिशोर उर्फ गुरूजी पुत्र राजाराम, वि.के.का. श्यालावास (दौसा)**

बंदी को दिनांक 02.03.2021 को स्थाई पैरोल पर रिहा किया जा चुका है।

3. **केदार पुत्र रामप्रताप मीना, वि.के.का. श्यालावास (दौसा)**

बंदी को दिनांक 31.03.2021 को स्थाई पैरोल पर रिहा किया जा चुका है।

सदस्य	**सदस्य**	**सदस्य**	**सदस्य**	**अध्यक्ष**
सहायक निदेशक (परिवीक्षा) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।	**सचिव** उप महानिरीक्षक कारागार रेंज, जयपुर।	महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर।	अति. महानिदेशक कारागार राजस्थान, जयपुर।	महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।

वेबसाईट पर
अपलोड हेतु